सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.स. NCST/ATY-795/RJ/24/2022-APCR **दिनांक:26.07.2024**

सेवा में,

श्री आनंद शर्मा
पुलिस अधीक्षक, अलवर
मोहल्ला लाडिया,
जिला - अलवर -301001 (राजस्थान)
ई मेल: sp.alwar@rajpolice.gov.in
दूरभाष: 0144-2337453

विषय: गीता खैरथल, घरेलू सफाई कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ करना, मारपीट करना एवं वेतन नहीं दिये जाने के विषय मे डॉ संजय दाभाडे, कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, मयूर विहार, नयी दिल्ली का अभ्यावेदन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त सुनवाई का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि सुनवाई में लिए गए निर्णयों व आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन रिपोर्ट इस आयोग को 15 दिन के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय

(एच.आर. मीना/ H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID: hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि प्रेषित:-

डॉ संजय दाभाडे, कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद,
148-सी पॉकेट-6 , मयूर विहार-3, दिल्ली- 4110096
पीड़िता मोबाइल न.- 6379956611

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NCST/ATY-795/RJ/24/2022-APCR

डॉ संजय दाभाडे, कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, 148-सी पॉकेट-6, मयूर विहार-3, दिल्ली की शिकायत के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का कार्यवृत

सुनवाई की तिथि : 27.06.2024, 12:40 P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

डॉ संजय दाभाडे, कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, 148-सी पॉकेट-6, मयूर विहार-3, दिल्ली से दिनांक 12.12.2022 की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उनका कहना है कि कुमारी गीता, खैरथल में श्री जितेंद्र महाजन के घर पर घरेलू सफाई का कार्य करती थी, कुमारी गीता के द्वारा उनसे वेतन मांगने पर उनके व उनके परिवार के लोगों द्वारा कुमारी गीता व उसकी बहन के साथ गाली गलोच, छेड़छाड़ व मारपीट की गई, श्री जितेंद्र महाजन ने उसके साथ कमरे में बंद करके अश्लील हरकत भी की गई जिसकी शिकायत उसके द्वारा पुलिस थाना खैरथल में की गई, किन्तु पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गयी थी, प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करवाने का आग्रह किया था।

2. आयोग द्वारा इस मामले को पुलिस अधीक्षक, जिला- अलवर, राजस्थान के साथ दिनांक 08/12/2022 को उठाया गया था और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी।

3. जिसके सम्बंध में पुलिस अधीक्षक, जिला- अलवर, राजस्थान की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, आयोग द्वारा दिनांक 27.06.2024 को पुलिस अधीक्षक, जिला- अलवर, राजस्थान के साथ आयोग में सुनवाई तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, खैरथल उपस्थित हुए, प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित श्री राजेश भील व श्रीमति गीता भी उपस्थित हुई।

5. प्रकरण की सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, खैरथल ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए। जिसमें उन्होने बताया कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित चल रहा है।

प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

1. पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए
2. SC/ST(PoA) अधिनियम के तहत पीड़ित को मुआवजा प्रदान किया जाए
3. भविष्य मे आयोग के नोटिस का जवाब समय पर दिया जाए

आशा लकड़ा
11/07/2024

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

National Commission for Scheduled Tribes

Case File No.- NCST/ATY-795/RJ/24/2022-APCR

List of Participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from the O/o Superintendent of Police, Distt.- Alwar, Rajasthan

Shri Ratanlal , Add. SP O/o Superintendent of Police

Petitioner
Shri Rajesh Kumar Bhil
Smt. Geeta